प्रेसनोट –
दिनांक- 14.09.2026
थाना मधुबन जनपद मऊ ।

अपहरण व दुष्कर्म के मामलें में वाछिंत 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेशदत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.09.2026 को दुबारी मोड़ के पास से मु0अ0स0- 290/2025 धारा- 87, 64(1) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप उर्फ काणों पुत्र सुबाष उर्फ डब्बा निवासी ग्राम काटवास थाना मांडन जनपद कोटपुतली (राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0स0- 290/2025 धारा- 87, 64(1) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1. प्रदीप उर्फ काणों पुत्र सुबाष उर्फ डब्बा निवासी ग्राम काटवास थाना मांडन जनपद कोटपुतली (राजस्थान)।

गिरफ्तारी की स्थान व दिनांक

1.दिनांक- 14.09.2026

2.स्थान- दुबारी मोड़ के पास से

प्रेसनोट –
दिनांक- 14.09.2026
थाना रानीपुर जनपद मऊ ।

स्नैचिंग के मामलें में वाछिंत 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, स्नैचिंग का सामान एक अदद पीली धातु का मंगलसूत्र लॉकेट, नगद 1930 रुपये व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.09.2026 को मिर्जापुर गौशाला के सामने हुड़हरा के पास से मु0अ0स0- 106/2026 धारा- 304(2) व 317(2) BNS बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. सुजीत यादव पुत्र बंशी यादव, निवासी ग्राम छपरा, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ व 2.

नितेश उर्फ गोलू पुत्र स्व. रामकरन निवासी कस्बा व थाना चिरैयाकोट, मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***सक्षिप्त विवरण*-** दिनांक 09.09.2026 को अभियुक्त ने अस्पताल परिसर से महिला के गले से मंगलसूत्र का लॉकेट झपटा था, जिसे उसने चिरैयाकोट में नितेश उर्फ गोलू की सोने- चांदी की दुकान पर ₹21000 में बेचा था। बरामद रुपये उसी बिक्री के बचे हुए थे, जबकि शेष रकम उसने अपने पिता के इलाज में खर्च कर दी। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (UP54AX0264) के कागजात न दिखा पाने पर उसे धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर मुकदमे में दाखिल किया गया। पुलिस ने अभियुक्त सुजीत यादव को धारा 304(2) व 317(2) BNS के तहत सुबह करीब 11:28 बजे नियमानुसार हिरासत में ले लिया। तत्पश्चात, अभियुक्त की निशानदेही पर ज्वैलर नितेश उर्फ गोलू पुत्र स्व. रामकरन (उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना चिरैयाकोट, मऊ) को बुलाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर नितेश ने अपनी संबंधी के माध्यम से पीली धातु का चोरी गया मंगलसूत्र का लॉकेट मंगवाकर पुलिस को उपलब्ध कराया। मौके पर बुलाई गई वादिनी (पीड़ित महिला) ने बरामद लॉकेट व अभियुक्त सुजीत यादव की स्पष्ट पहचान की, जिसके बाद बरामद माल को नियमानुसार सील-सर्वमुहर किया गया। चोरी का माल खरीदने का अपराध सिद्ध होने पर सह-अभियुक्त नितेश उर्फ गोलू को धारा 317(2) BNS के अंतर्गत दोपहर करीब 13:00 बजे पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0स0- 106/2026 धारा- 304(2) व 317(2) BNS बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. सुजीत यादव पुत्र बंशी यादव, निवासी ग्राम छपरा, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।
2. नितेश उर्फ गोलू पुत्र स्व0 रामकरन निवासी कस्बा व थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

1.दिनांक 14.09.2026

2.स्थान- मिर्जापुर गौशाला के सामने हुड़हरा

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद पीली धातु का मंगलसूत्र लॉकेट
2. नगद 1930 रुपये
3. एक अदद मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त)

प्रेसनोट –

दिनांक- 14.09.2026

जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 14.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वसूली वारंटी अभियुक्त बैजू उर्फ रामरतन पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी हुसैनाबाद थाना चिरैयाकोट मऊ।

अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

प्रेसनोट –

दिनांक- 14.09.2026

जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 14.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 28 टीम गठित कर जनपद के 28 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1290 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 497 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 04 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेसनोट

दिनांक- 14.09.2026

थाना दोहरीघाट जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडिता का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 10,000/- (दस हजार रूपया) पीडिता को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 14.09.2026 को यूपीआई के माध्यम से पीड़िता/आवेदिका श्वेता सिंह पत्नी विवेकानंद राय निवासी कुरंगा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 10,000/- (दस हजार रूपया) MRM PORTAL के माध्यम से थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेसनोट

दिनांक- 14.09.2026

जनपद मऊ।

थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत सरसेना में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 03 पुलिस टीमों का गठन

जनपद मऊ के थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत सरसेना में एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच करने, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। गठित टीमों को अलग- अलग बिंदुओं पर कार्य करते हुए घटना से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, तकनीकी एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण

की जाए, घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।